बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग।

अधिसूचना

पटना, दिनांक–.....

सख्या :– 5 नि०गो०वि० (1) 07/2025. –..... विभागीय अधिसूचना संख्या 518, दिनांक 04.02.2025 द्वारा डा० अरूण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना का स्थानांतरण जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल के पद पर किया गया। उक्त अधिसूचना की कंडिका– 2 में यह अंकित है कि सभी स्थानांतरित पदाधिकारी अपने वर्त्तमान पद का प्रभार अपने प्रतिस्थानी को सौंप कर नवपदस्थापित स्थान पर अनिवार्य रूप से प्रभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। प्रभार नहीं सौंपने वाले पदाधिकारी नवपदस्थापित स्थान के लिए दिनांक 11.02.2025 से स्वतः विरमित समझे जायेंगे।

(i) उक्त स्थानांतरण आदेश के आलोक में डा० कुमार के द्वारा जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के पद से स्वतः विरमित होकर नवपदस्थापित स्थान जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल के पद पर योगदान नहीं किया गया और न ही विभाग में स्थानांतरण आदेश के विरूद्ध कोई अभ्यावेदन समर्पित किया गया।

(ii) विभागीय स्थानांतरण आदेश का अनुपालन किये बगैर डा० अरूण कुमार के द्वारा स्थानांतरण आदेश को रद्द करने हेतु दिनांक 06.02.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना में वाद संख्या 2301/2025 दायर कर दिया गया। उक्त वाद में दिनांक 10.02.2025 को पारित न्यायादेश में माननीय न्यायालय द्वारा वादी को एक सप्ताह के अंदर विभाग के समक्ष स्थानांतरण आदेश को रद्द करने/पुनर्विचार करने हेतु अभ्यावेदन समर्पित करने का आदेश दिया गया और विभाग को वादी के द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर चार सप्ताह के अंदर विभाग को निर्णय लिये जाने का आदेश दिया गया। अभ्यावेदन पर निर्णय लिये जाने तक डा० कुमार के स्थानांतरण से संबंधित विभागीय अधिसूचना संख्या 518, दिनांक 04.02.2025 पर रोक (Stay) लगा दिया गया।

(iii) उक्त आदेश के आलोक में वादी डा० कुमार के द्वारा दिनांक 17.02.2025 को विभाग में अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसे समीक्षोपरांत विभागीय आदेश ज्ञापांक 1231 दिनांक 13.03.2025 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया । उक्त से स्पष्ट है कि दिनांक 13.03.2025 के प्रभाव से स्थानांतरण पर लगी रोक समाप्त हो गयी है तथा उक्त तिथि दिनांक 13.03.2025 से ही विभागीय स्थानांतरण आदेश 518, दिनांक 04.02.2025 प्रभावी हो गया।

उक्त से स्पष्ट है कि विभागीय स्थानांतरण आदेश 518, दिनांक 04.02.2025 के दिनांक 13.03.2025 से प्रभावी होने के पश्चात उक्त स्थानांतरण आदेश के अनुपालन में डा० कुमार को दिनांक 13.03.2025 के पश्चात स्वतः विरमित होकर स्थानांतरित स्थल जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल के पद पर योगदान समर्पित करना चाहिए था परंतु उनके द्वारा विभागीय आदेश की अवहेलना करते हुए जिला पशुपालन पदाधिकारी, सुपौल के पद पर योगदान समर्पित नहीं किया गया।

2. दिनांक 26.04.2025 को हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "छः वर्षो में 20 प्रतिशत गाय भैंस कम हुए" के संज्ञान में आने के पश्चात मामले की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि डा० अरूण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना के द्वारा 21वीं पशुगणना संबंधी आँकडों का विश्लेषण कर उक्त से संबंधित आँकड़ों/रूझानों की जानकारी मीडिया में देकर पटना जिलान्तर्गत 21वीं पशुगणना संबंधी आँकड़ों को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया है।

(i) विदित हो कि 21वीं पशुगणना के तहत आँकड़ों के संग्रहण के पश्चात् विस्तृत विश्लेषण के उपरान्त अंतिम आँकड़ों का प्रकाशन भारत सरकार के स्तर से किया जाना है। इस संबंध में भारत सरकार से प्राप्त पत्र दिनांक 01.04.2025 में दिये गये निदेश आलोक में पशुपालन निदेशालय के पत्रांक 1440 (नि०) दिनांक 07.04.2025 के माध्यम से 21वीं पशुगणना संबंधित किसी भी प्रकार/किसी भी स्तर के आँकड़ों/रूझानों को सोशल मीडिया/प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रकटीकरण नहीं किये जाने का निदेश दिया गया था। इसके बावजूद डा० कुमार द्वारा 21वीं पशुगणना संबंधी आँकड़ों/रूझानों की जानकारी मीडिया में दी गयी।

(ii) ध्यातव्य हो कि बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के नियम 9 (2) (ख) के अनुसार कोई भी सरकारी सेवक सरकार/सक्षम प्राधिकार के पूर्व मंजूरी के बिना अपने नाम से अथवा गुमनाम से अथवा किसी अन्य व्यक्ति के नाम से किसी समाचार पत्र या पत्रिका को ना तो रचना भेजेगा और न ही पत्र लिखेगा। डा० कुमार द्वारा उक्त आचारण का उल्लंघन करते हुए पशुगणना संबंधी आँकड़ों को समाचार पत्र में प्रकाशित करवाया गया है।

(iii) पटना जिला के पशुगणना कार्यो की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत पाया गया कि अप्रैल माह के तीसरे सप्ताह तक मात्र लगभग 17.5 प्रतिशत ग्रामों/वार्डों में पशुगणना का कार्य पूर्ण किया गया है। निर्धारित अवधि की अंतिम तिथि 30.04.2025 तक 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामों/वार्डों का कार्य शेष है। उक्त से स्पष्ट है कि पशुगणना कार्यो हेतु नियंत्री पदाधिकारी होने के नाते पटना जिला के पशुगणना संबंधी कार्यों को ससमय पूर्ण कराने की जिम्मेदारी डा० कुमार की थी, परंतु उनके द्वारा पशुगणना कार्य ससमय पूर्ण नहीं करवाया गया है। पटना जिले के पशुगणना कार्यो में अभी तक अपेक्षित प्रगति नहीं हो पायी है।

उक्त से स्पष्ट है कि डा० अरूण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना का उक्त कृत्य न केवल उनके पदीय दायित्वों का निवर्हन करने में बरती गयी लापरवाही, उदासीनता, हठधर्मिता एवं विभागीय आदेश की अवहेलना को दर्शाता है बल्कि भारत/राज्य सरकार के द्वारा जारी दिशा–निर्देश के उल्लंघन को भी परिलक्षित करता है।

उक्त आलोक में डा० कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः उक्त लिये गये निर्णय के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9 (i)(क) में वर्णित प्रावधान के तहत् डा० अरूण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1. निलंबन अवधि में डा० कुमार को सिर्फ जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान किया जायेगा।
2. निलंबन अवधि में डा० कुमार का मुख्यालय **क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, सहरसा** निर्धारित किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/–

(स्मिता सिन्हा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि०गो०वि० (1) 07/2025– ...../ पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक :– 5 नि०गो०वि० (1) 07/2025– ...../ पटना–15, दिनांक–.....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

ह०/–

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक – 5 नि०गो०वि० (1) 07/2025–227 वि०गो०/ पटना–15, दिनांक–27/05/2025

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अपर मुख्य सचिव के आप्त सचिव, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, पशुपालन/ क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना/क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन, कोसी क्षेत्र, सहरसा/ जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा/डा० अरूण कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पटना सम्प्रति पदस्थापन की प्रतीक्षा में **क्षेत्रीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, सहरसा**/प्रशाखा पदाधिकारी–1/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/5/25

सरकार के संयुक्त सचिव।